

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख) के अन्तर्गत
आबकारी विभाग से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों से
अपेक्षित सूचनाओं का विवरण

(12) आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे
कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा :-

आबकारी विभाग का कार्य इस प्रकृति का नहीं है, जिसमें इसकी आवश्यकता
पड़ती हो।